भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3573
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों की निगरानी के लिए तंत्र

3573. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कई निजी अस्पताल गंभीर बीमारियों का भय दिखाकर गरीब और आम लोगों को बेवजह लंबे समय तक भर्ती रखते हैं और अत्यधिक आर्थिक शोषण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार को शिकायतों के रूप में अनैतिक बिल देने, गलत व्यवहार करने अथवा रोगियों को गुमराह करने से संबंधित ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(घ) निजी अस्पतालों की निगरानी के लिए सरकार ने क्या तंत्र विकसित किया है ताकि वे अनैतिक तरीके से मरीजों का शोषण न कर सकें; और

(ङ) क्या सरकार का अस्पतालों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई नई नीति अथवा विनियामक तंत्र लाने का विचार है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आम जनता को लूटे जाने से रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के नाते, निजी अस्पतालों द्वारा गरीबों और आम जनता को अनावश्यक रूप से भर्ती करके रखने और अत्यधिक वित्तीय शोषण में लिप्त होने के मामलों का संज्ञान लेना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्राथमिक दायित्व है। इस संबंध में जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जो अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अस्पतालों को विनियमित करते हैं, को अग्रेषित कर दिया जाता है। ऐसी शिकायतों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

भारत सरकार ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 (नैदानिक स्थापन अधिनियम) अधिनियमित किया है और इसके अंतर्गत नैदानिक स्थापन (केन्द्रीय सरकार) नियम, 2012 अधिसूचित किया है ताकि सरकारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) तथा निजी नैदानिक स्थापनाओं, जो मान्यता

प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित हैं, के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिन्होंने नैदानिक स्थापन अधिनियम को अपनाया है, वे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी अस्पतालों सहित अस्पतालों को विनियमित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं।

नैदानिक स्थापन अधिनियम के अनुसार, नैदानिक स्थापनाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम मानकों की शर्तों को पूरा करना और प्रदान की गई प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए प्रभारित दरों को प्रदर्शित करना अपेक्षित है। नैदानिक स्थापन अधिनियम के तहत, नैदानिक स्थापना के पंजीकरण और उसे जारी रखने के लिए, प्रत्येक नैदानिक स्थापना राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और जारी की गई दरों की सीमा के भीतर प्रत्येक प्रकार की प्रक्रिया और सेवा के लिए दरें वसूलेगा। यदि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो नैदानिक स्थापन अधिनियम में अस्पतालों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिन नैदानिक स्थापनाओं ने नैदानिक स्थापन अधिनियम को अंगीकार और कार्यान्वित नहीं किया है, उनका पंजीकरण और विनियमन राज्य अधिनियमों द्वारा किया जाता है।

*****